

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)


जाकर व अन्य बनाम नवल खां व अन्य


हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज
प्रार्थना पत्र - 212 जा0दी0 संख्या 93/वर्ष 2022


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तारीख में जारी हुए

आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 31.03.2022 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि 775/0.86 है0 वाके ग्राम बाघौर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) पर वादी के हिस्से तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावे? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जयें अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बाद तलबी पत्रावली वाद के साथ पेश हों।


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

31/03/22 पत्रावली का जमापत्र पेश हुआ था प्रार्थी अधिवक्ता हुक्म अयुक्तिकरण अगुम आग्रह पत्रावली मूल दावा के साथ दिनांक 31/03/22 को पेश हो। 

18/03/22 पत्रावली का जमापत्र के साथ पेश हुई प्रार्थीगण मय अधिवक्ता उपर्युक्त वादी का वादीगण के पत्र पर रकारिज हो चुका है अतः यह प्रार्थीगण पत्र की डरी स्वर पर रकारिज डिम जा रहा है पत्रावली के संलग्न मुकाम होकर वाद नकल ल संलग्न मुकाम हो। 

जा/कर
मनमोहन
ता/दि/22
22/3/22
रका